

## Order sheet [Contd]

case No. 26 / 16 क्लेम

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17 09.12.17	<p><b>क्लेम प्रकरण क्रमांक-26/16 राजकुमार कुशवाह विरुद्ध गिराज सिंह एवं अन्य (प्राइवेट पार्टी)</b></p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक सहित श्री ए. के. राणा अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>अनावदेक क्रमांक-1 गिराज सिंह सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता ।</p> <p>अनावदेक क्र0-2 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया । आवेदक एवं अनावदेक क्रमांक 01 द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये । आवेदक को श्री ए.के. राणा अधिवक्ता द्वारा तथा अनावदेक क्रमांक 01 को श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावदेक क्रमांक 01 गिराज सिंह, दुर्घटना में आवेदक राजकुमार कुशवाह को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रुपये 1,000/- (एक हजार) रुपये अदा करे तथा अनावदेक क्रमांक 02 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे ।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया । राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अना.क्र. 01 गिराज सिंह, दुर्घटना में आवेदक राजकुमार को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि 1,000/- (एक हजार) रुपये दो माह की अवधि में अदा करें । विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें ।</li> <li>2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 1,000/- (एक हजार) रुपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें ।</li> <li>3. अनावदेक क्रमांक 02 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है ।</li> <li>4- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे ।</li> <li>5. अधिवक्ता शुल्क 500/- रुपये लगाया जावे ।</li> </ol>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क. 20</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadors where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)